

मु. नं. 84/2021

जजदीठा नारायण बनाम गिरिजा लसाक  
पार-53, 188 RTA

21/2/22 पत्रावली आज पेश की। वकील वारील्वेय उपस्थित।  
आमालम हिल काकाट जमफ्ट का अर्पण  
प्राधना पत्र को अर्पण मिलवाया जो उका है।  
आ। पत्रावली वारि कलाकाट अर्पण हेतु दिनांक  
21/3/22 को पेश है।

उप सचिव अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)


पत्रावली पेश की। P.O. सा. वीरे/अन्य  
कार्य में अर्पण करने का कारण कार्यवाही  
नहीं है। पत्रावली अर्पण दिनांक  
19/5/22 को पेश है।

21/3/22

21/3/22 पत्रावली आज वकील वारील्वेय व वकील वारील्वेय के अधिवक्ता  
श्री किरीप बस्ती के द्वारा प्रस्तुत प्राधना पत्र  
वायव्य विभाग का आज तलब किया जाने (ले लंबे लंबे लंबे)  
एवं प्राधना पत्र वायव्य वायु पत्र का विभा (जजदीठा नारायण बनाम गिरिजा लसाक)  
किरीप बस्ती को पेश करने का अग्रान्त पूर्व (प. नं. 84/2021)  
हीमल नारीय वारील्वेय दिनांक 19/5/22 से (11/5/2022)  
आज तलब किया जाने वकील वारील्वेय व वकील वारील्वेय  
के अधिवक्ता के द्वारा प्राधना पत्र व वायु  
वायु पत्र के अर्पण करने का दिनांक है। आ। वायु पत्र का अर्पण करने का अग्रान्त पूर्व  
प्रदान करने हेतु आमालम हाजा व प्राधना वकील।  
आमालम हाजा के द्वारा वायु पत्र का अर्पण करने एवं  
वकील वारील्वेय के अधिवक्ता के अधिवक्ता के द्वारा

उप सचिव अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)

वाद फा के विज्ञे किने पनि जल स्वयम् सहमति  
 स्वयम् वाद फा की आयेरिका पर हस्ताक्षर  
 किने पनि एवं अन्त हस्ताक्षर के वादीगण अधिवक्ता  
 श्री सिनोप शर्मा के साथ हस्ताक्षर कर प्रमाणित  
 किने पनि के आषाट पर वादीगण के साथ प्रस्ताव  
 प्रकृतिया फा वाद फा के विज्ञे किने पनि का न्याय प्रहित  
 ये स्वीकार कर वादीगण के अधिकारों का सुरक्षित  
 रखती है वाद फा के परिण विज्ञे वारिज किमा  
 जाता है। फा वली फिलहाल बुझा होकर दस नवंबर  
 से काम होने पर वारिजल दण्डार है।  
 निर्णय आज दिनांक 3/3/22 को वृद्धे न्यायालय  
 एवं सरे इजलास बुजामा गया।

  
 उप खण्ड अधिकारी  
 बस्सी (जिला जयपुर)